

वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 नवम्बर, 2018-अग्रहायण 2, शके 1940

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कक्षा दसवीं की अंकसूची एवं पैन कार्ड में मेरा नाम मोती सिंह चौहान अंकित है तथा मेरे बोटर कार्ड व बैंक खाते तथा अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम विकास सिंह चौहान अंकित है जो दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति के हैं और इन्हीं दोनों नामों विकास सिंह चौहान व मोती सिंह चौहान के नाम से मुझे जाना व पहचाना जाता है। भविष्य में मुझे विकास सिंह चौहान के नाम से जाना एवं पहचाना जाए।

पुराना नाम :

(मोती सिंह चौहान)

(675-बी.)

नया नाम :

(विकास सिंह चौहान)

पुत्र श्री राजेश सिंह चौहान,
पता-23 मानिक विलास कॉलोनी,
गांधी रोड, ग्वालियर।

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि शादी पूर्व मेरा नाम चैतन्य उर्फ चैतन्य शर्मा पिता हरि कृष्ण शर्मा था, जिसे शादी के बाद परिवर्तित कर चेतना पचौरी पति मनोहर कांत पचौरी कर लिया था। अतः मुझे मेरे सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में नये नाम चेतना पचौरी से लिखा पढ़ा जावे।

पुराना नाम :

(चैतन्य उर्फ चैतन्य शर्मा)

पिता हरि कृष्ण शर्मा।

(677-बी.)

नया नाम :

(चेतना पचौरी)

पति मनोहर कांत पचौरी,

560, काटजू नगर रत्लाम (म.प्र.)।

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरी पुत्री जिसका नाम मान्या सचदेव था को बदलकर अनाया सचदेव कर लिया है। अतः अब से उसे सभी जगह अनाया सचदेव नाम से ही लिखा पढ़ा जावे।

विशाल सचदेव (पिता)

पता-जी-2, ए-317, आदिनाथ अपार्टमेंट,
सिलिकॉन सिटी, राड, इंदौर (म.प्र.)

(676-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, राजीव कठल सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे यूनाइटेड स्प्रीड लिमिटेड के शेयर सर्टीफिकेट में (UNITED SPRITS LIMITED) में गलती से मेरा नाम राजू कठल अंकित किया गया वर्तमान में राजीव कठल पुत्र श्री गौरी शंकर कठल के नाम से जाना पहचाना, एवं पुकारा जाता हूँ तथा भविष्य में भी इसी नाम राजीव कठल पुत्र श्री गौरी शंकर कठल से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा तथा हस्ताक्षर करता रहूँगा राजू कठल एवं राजीव कठल एक ही व्यक्ति है। अतः मेरे यूनाइटेड स्प्रीड लिमिटेड (UNITED SPRITS LIMITED) के शेयरों के सर्टीफिकेट में मेरा नाम राजू कठल के स्थान पर राजीव कठल अंकित किया जाये सर्वजन एवं आमजन सूचित हों।

पुराना नाम :

नया नाम :

(राजू कठल)

(राजीव कठल)

निवासी-हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी,
एच.आई.जी. 8, कटंगा,
नियर केरला भवन, जबलपुर.

(678-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, कौस्तुभ तिवारी पिता कृष्ण कुमार तिवारी (KAOUSTHUBH TIWARI S/O KRISHNA KUMAR TIWARI) निवासी 123 विध्या नगर, आनंद नगर, खण्डवा, जिला खण्डवा सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा नाम कौस्तुभ कुमार तिवारी पिता कृष्ण कुमार तिवारी (KAOUSTHUBH KUMAR TIWARI S/O KRISHNA KUMAR TIWARI) था। अब मैंने मेरा नाम बदलकर कौस्तुभ तिवारी पिता कृष्ण कुमार तिवारी (KAOUSTHUBH TIWARI S/O KRISHNA KUMAR TIWARI) कर लिया है अतः आज दिनांक से मेरे समस्त दस्तावेजों में जहाँ-जहाँ मेरा नाम कौस्तुभ कुमार तिवारी पिता कृष्ण कुमार तिवारी (KAOUSTHUBH KUMAR TIWARI S/O KRISHNA KUMAR TIWARI) दर्ज है उसे कौस्तुभ तिवारी पिता कृष्ण कुमार तिवारी पढ़ा जावे तथा मुझे मेरे नये नाम से जाना एवं पहचाना जावे।

पुराना नाम :

नया नाम :

(कौस्तुभ कुमार तिवारी)

(कौस्तुभ तिवारी)

(679-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम परिवर्तन कर हिना मालानी (Heena Malani) के स्थान पर तनिशा बुलानी (Tanisha Bulani) कर लिया है। अतः भविष्य में मुझे मेरे नये नाम तनिशा बुलानी (Tanisha Bulani) के नाम से जाना व पहचाना जावेगा। सो विदित होवे।

पुराना नाम :

नया नाम :

(हिना मालानी)

(तनिशा बुलानी)

(680-बी.)

06/1, बैराठी कालोनी, इंदौर (म.प्र.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम नहिं खान उर्फ जिगर पुत्र मुबीन खान, निवासी झांसी मोहल्ला, जिला भिण्ड म.प्र. था आगे मेरा नाम परिवर्तन होकर बकार आजम पुत्र मुबीन खान, निवासी झांसी मोहल्ला, जिला भिण्ड म.प्र. हो गया है व हमारे सभी कागजों, दस्तावेजों में भी यही नाम है। अतः मुझे बकार आजम पुत्र मुबीन खान, निवासी झांसी मोहल्ला, जिला भिण्ड के नाम से जाना जाये।

पुराना नाम :

नया नाम :

(नहिं खान उर्फ जिगर)

(बकार आजम)

पुत्र मुबीन खान।

पुत्र मुबीन खान,

(681-बी.)

निवासी-झांसी मोहल्ला, जिला भिण्ड (म.प्र.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मेसर्स ए.के.गैस एजेन्सी जबलपुर जिसका पं. क्रमांक 75, दिनांक 14-07-2014 है कि एक भागीदार अक्षय दुबे पिता श्री अशेष रंजन दुबे, निवासी-457, गोरखपुर गुरुद्वारा रोड, नेपियर टाउन जबलपुर का देहांत दिनांक 14-03-2018 को हो गया था. जिनके निधन के उपरांत उक्त फर्म में वर्तमान भागीदार श्री अशेष रंजन दुबे पिता श्री नारायण प्रसाद दुबे के साथ नये भागीदार के रूप में श्रीमती कामिनी दुबे पति श्री अशेष रंजन दुबे, निवासी-457, गोरखपुर गुरुद्वारा रोड, नेपियर टाउन, जबलपुर को सम्मिलित किया गया है. उक्त फर्म का संचालन अब श्री अशेष रंजन दुबे एवं श्रीमती कामिनी दुबे के द्वारा किया जायेगा व यह दोनों ही उक्त फर्म के केवल भागीदार हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

फर्म- ए.के.गैस एजेन्सी,
अपूर्व शर्मा,

(682-बी.)

(एडवोकेट)

महाराजपुरा रोड, जबलपुर.

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे. आर.एस. कंस्ट्रक्शन सिविल लाइन टीकमगढ़ में से दिनांक 10-11-2018 से राहुल सिंह पुत्र श्री हरवल प्रताप सिंह सिविल लाइन टीकमगढ़ अपनी स्वेच्छा से अलग हो गये हैं एवं उसी दिनांक 10-11-2018 से हरवल प्रताप सिंह पुत्र स्व. श्री गुलाब सिंह सिविल लाइन टीकमगढ़ फर्म में पार्टनर हो गये हैं. यह संशोधन दिनांक 10-11-2018 से मान्य होगा.

मेसर्स आर.एस. कंस्ट्रक्शन टीकमगढ़,
नन्दनी सिंह,

(683-बी.)

(भागीदार).

आम सूचना

(01 अप्रैल 2012) सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मे. एस आर डी कांस्ट्रक्शन एक पंजीकृत फर्म है जिसका पंजीयन क्रमांक 05/26/01/00105/10 है. दिनांक 05-10-2010 को पंजीकृत फर्म में चार (पार्टनर) साझेदार जो कि (1) शिव प्रसाद शुक्ला, (2) वैभव मिश्रा, (3) जय प्रकाश नारायण, (4) मजीद अहमद अंसारी हैं जो कि अब दो साझेदार 01 अप्रैल 2012 से (3) जय प्रकाश नारायण व (4) मजीद अहमद अंसारी फर्म से पृथक हो चुके हैं.

(01 अप्रैल 2015) सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की मे. एसआरडी कांस्ट्रक्शन एक पंजीकृत फर्म है जिसका पंजीयन क्रमांक 05/26/01/00105/10 है. दिनांक 05/10/2010 को पंजीकृत फर्म में दो (पार्टनर) साझेदार जो कि (1) शिव प्रसाद शुक्ला, (2) वैभव मिश्रा हैं. जो कि दिनांक 01 अप्रैल 2015 से वैभव मिश्रा फर्म से पृथक हो चुके हैं एवं दिनांक 01 अप्रैल से एक नए (पार्टनर) साझेदार देवी प्रसाद शुक्ला सम्मिलित हो रहे हैं.

उक्त लेख में पृथक् होने वाले (पार्टनर) साझेदार से लेनदारी व देनदारी शेष नहीं है. किसी को कोई आपत्ति हो तो दस दिवस के अंदर सूचित करे.

एसआरडी कांस्ट्रक्शन,
शिव प्रसाद शुक्ला,

(658-बी.)

(भागीदार)

पता-प्रभात बिहार कॉलोनी,

जिला-सतना (म.प्र.).

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स नीरव एण्ड नीरव इंडस्ट्रीज स्थित भोपाल, मध्यप्रदेश में (1) श्री कर्मवीर सिंह पिता श्री भगत राम चौहान, निवासी डी-501, ला, बिड़ा लोका, पिपली सौदागार, पूर्ण (महाराष्ट्र) दिनांक 01-04-2011 को एवं (2) श्रीमती ज्योती सोनगारा पत्नी श्री वी. के. सोनगारा, निवासी एच.एक्स-3, ई-7, अरेका कॉलोनी, भोपाल मध्यप्रदेश एवं (3) श्रीमती मोनिका सिंह पुत्री श्री सतीश राना, निवासी 3-ई-1/1102, वाटर एज सोसाइटी पिपली, निलख, पूर्ण (महाराष्ट्र) दिनांक 01-11-2018 को तीनों स्वेच्छा से फर्म में भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं. मेसर्स नीरव एण्ड नीरव इंडस्ट्रीज के भागीदार श्री नीरव प्रधान पिता श्री एस.प्रधान, निवासी अहमदपुर, होशंगाबाद रोड, भोपाल मध्यप्रदेश स्वेच्छा से दिनांक 30-06-2011 फर्म से पृथक हो गये हैं. अगर किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन से दिनांक से 7 दिवस में निम्न पते पर सूचित करें तथा आमजन एवं सर्व जन सूचित हो.

मेसर्स नीरव एण्ड नीरव इंडस्ट्रीज,

(684-बी.)

नीरव प्रधान,

(भागीदार).

पता-6/8, अंकूर कॉम्प्लेक्स, फेस-2,
शिवाजी नगर, भोपाल (म.प्र.).

विविध

निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर, 2018

निविदा सूचना

क्र. जी. बी. चार/पेपर(के-11)2018-19/2733.—ऐसे प्रिण्टर्स एवं डायरी निर्माता जो मुद्रण और डायरी के विनिर्माण उत्पादन का पर्याप्त अनुभव रखते हों, 20 करोड़ रुपये का टर्न ओवर हो एवं एक वर्ष में 1.4 करोड़ रुपये की डायरी निर्माण का एकल आदेश प्राप्त किया हो, से मध्यप्रदेश शासन की डायरी-2019 प्रदाय किये जाने हेतु आई. टी. विभाग की वेबसाइट <https://www.mpeproc.gov.in> से ऑनलाईन निविदाएं दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 तक अपराह्न 12:30 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं।

2. ई-टेंडरिंग में प्रस्तुत तकनीकी भाग की हार्डकॉपी Key-dates अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक 06-12-2018 अपराह्न 13:00 बजे तक प्रस्तुत किया जाना होगा। ई-टेंडरिंग का तकनीकी भाग एवं हार्ड कॉपी के लिफाफे दिनांक 06-12-2018 को अपराह्न 15:00 बजे स्वेच्छा से उपस्थित निविदाकारों/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी।

(1276)

Bhopal, Dated 15th November, 2018

TENDER NOTICE

No. GB-IV/Paper(K-11)2018-19/2733.—Online Bidding are invited through IT Department website <https://www.mpeproc.gov.in> for Printing and Supply of Madhya Pradesh Government Diary-2019 from the printers and Diary manufacturers who have sufficient experience of printing and manufacturing of Diaries with production facilities and have annual turnover of Rs. 20 Crores and have essentially obtained and executed atleast on single order of manufacturing cost of one crore forty lakhs of Diaries's printing in a year, shall only be eligible for submitting Online Tender on or before 6-12-2018 up to 12:30 PM.

2. In all respects hard copy of technical tender document must be received at the office of undersigned latest by 13 :00 PM on 6-12-2018 as per key-dates. Online opening of the Technical Tender and Hard Copy of the same will be opened on 6-12-2018 at 15:00 PM in the Office of the undersigned in the presence of such tenderers or their authorised representatives as may be present.

(1276-A)

भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर, 2018

ई-निविदा सूचना

क्र. जी. बी. चार/पेपर(के-11)2018-19/2734.—ऐसे प्रिण्टर्स एवं केलेण्डर निर्माता जो केलेण्डर मुद्रण एवं अन्य सामग्री के विनिर्माण उत्पादन का पर्याप्त अनुभव रखते हों, से ग्रुप ए, बी, सी एवं डी की आवश्यक अर्हता की पूर्ति करने वाले निविदाकारों से शासकीय सचिव केलेण्डर-2019 एवं अन्य सामग्रियों को पेपर सहित मुद्रण कर प्रदाय करने हेतु आई. टी. विभाग की वेबसाइट <https://www.mpeproc.gov.in> से ऑनलाईन निविदाएं दिनांक 07-12-2018 को अपराह्न 12:30 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं।

2. विभाग की वेबसाइट www.govtprint.gov.in पर निविदा सूचना, निविदा प्रपत्र एवं शर्तों को अवलोकनार्थ रखा गया है।

3. ई-टेंडरिंग में प्रस्तुत तकनीकी भाग की हार्डकॉपी Key-dates अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक 07-12-2018 को अपराह्न 13:00 बजे तक प्रस्तुत करना होगा। ई-टेंडरिंग का तकनीकी भाग एवं हार्ड कॉपी के लिफाफे एवं निविदाकार द्वारा प्रस्तुत नमूनों को दिनांक 07-12-2018 को अपराह्न 15:00 बजे स्वेच्छा से उपस्थित निविदाकारों/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जावेगा।

अरूण कुमार तोमर,

नियंत्रक,

शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,

मध्यप्रदेश भोपाल।

(1277)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, खरगोन

रा.प्र.क्र.01/बी-113(1)/2018-19.

प्रो.क्र. /2018-19.

फॉर्म-4

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एवं 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-5(2) एवं

मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स 1952 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

समक्ष पंजीयक लोक न्यास.

चूंकि प्रार्थी अध्यक्ष "मरहम चेरिटेबल ट्रस्ट" 77, बिस्टान रोड़ कॉलेज के सामने खरगोन जिला खरगोन द्वारा ट्रस्ट के पंजीयन हेतु पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-4 के अन्तर्गत निम्न अनुसूची में दर्शित चल/अचल सम्पत्ति हेतु आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर इस न्यायालय में विचार किया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहें। निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

| अ.क्र. | नाम वस्तु | विवरण | वजन तथा नग |
|--------|--------------|-------|------------|
| 1. | चल सम्पत्ति | निरंक | निरंक - |
| 2. | अचल सम्पत्ति | निरंक | निरंक - |

अभिषेक गेहलोत,

(1265)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास मण्डला, जिला मण्डला

प्र.क्र.01/(ब-113/4)/2017/18.

प्रति,

आम जनता

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि अध्यक्ष श्री 1008 शार्तिनाथ दिग्म्बर जैन पंचायती मंदिर ट्रस्ट मण्डला म.प्र. महावीर स्वामी मार्ग पडाव मण्डला ने इस न्यायालय के समक्ष श्री 1008 शार्तिनाथ दिग्म्बर जैन पंचायती मंदिर न्यास ने लोक न्यास के पंजीयन हेतु विधिवत आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें इस न्यायालय के द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। जिस किसी आम जन को उक्त ट्रस्ट के पंजीयन में कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सम्पूर्ण दस्तावेजों के स्वयं, अपने प्रतिनिधि, अपने प्लीडर के माध्यम से दिनांक 14 नवम्बर, 2018 तक इस न्यायालय के समक्ष अपनी आपत्ति पेश कर सकता है।

यदि नियत दिनांक तक कोई आपत्ति पेश नहीं होगी तो उक्त प्रकरण के पंजीयन हेतु अग्रेतर कार्यवाही कर दी जावेगी तथा बाद में प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

उक्त इश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 25 अक्टूबर, 2018 को जारी किया गया।

सुलेखा सुदेश उर्झके,

(1275)

पंजीयक।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) क्षेत्र सरदारपुर, जिला धार

प्र.क्र.01/2018-19/बी-113.

एतद्वारा सर्व-साधारण जनता को सूचित किया जाता है कि श्री मनोहरलाल पिता बाबुलाल कांग्रेसा जाति जैन, निवासी महात्मा गांधी मार्ग राजगढ़,

तहसील सरदारपुर, जिला धार द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा-4 के अंतर्गत “श्री ऋषभदेव मोतीलाल ट्रस्ट, राजगढ़, तहसील सरदारपुर, जिला धार को लोक न्यास के रूप में पंजीयन किये जाने हेतु प्ररूप क्रमांक 3, नियम-4(2) के तहत् आवदेन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. अतः मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 की उपधारा-1 और मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार उक्त ट्रस्ट के पंजीयन किये जाने के संबंध में यदि किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो, वह व्यक्ति स्वयं या मार्फत अभिभाषक के विज्ञप्ति प्रसारण दिनांक से पेशी दिनांक 30 नवम्बर, 2018 के भीतर मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति 02 प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है। बाद मियाद समाप्ति के किसी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

3. यह विज्ञप्ति आज दिनांक 02-11-2018 को मेरे न्यायालय तथा हस्ताक्षर मुद्रा से जारी की गई।

सत्य नारायण दर्जे,

(1274)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

नारायण बीज एवं विपणन सहकारी समिति मर्या. हिनौति जिसका पंजीयन क्र. 1727, दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 है, निर्वाचन कक्ष की टीप अनुसार संस्था निर्वाचन करने में असफल रही एवं अंकेक्षण कक्ष टीप अनुसार संस्था गत वर्षों से अकार्यशील है। इस प्रकार उपरोक्त संस्था में म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69-2(क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई हैं। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र/एफ 5-1-9-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुए मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर नारायण बीज एवं विपणन सहकारी समिति मर्या. हिनौति जिसका पंजीयन क्र. 1727, दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 को यह कारण बताओं सूचना-पत्र जारी करता हूं कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाये। इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओं सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि उक्त सहकारी संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 16 अक्टूबर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1266)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

बीज उत्पादक प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी समिति मर्या. छतरपुरा जिसका पंजीयन क्रमांक 1423, दिनांक 04 मई, 2009 है, निर्वाचन कक्ष की टीप अनुसार संस्था निर्वाचन करने में असफल रही एवं अंकेक्षण कक्ष टीप अनुसार संस्था गत वर्षों से अकार्यशील है। इस प्रकार उपरोक्त संस्था में म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69-2(क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई हैं। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र/एफ 5-1-9-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुए मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर बीज उत्पादक प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी समिति मर्या. छतरपुरा जिसका पंजीयन क्रमांक 1423, दिनांक 04 मई, 2009 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूं कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाये। इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि उक्त सहकारी संस्था

विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 16 अक्टूबर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1267)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

निम्नांकित सारणी के कालम क्र. 2 में उल्लेखित सहकारी संस्थाएं निर्वाचन कक्ष की टीप अनुसार निर्वाचन करने में असफल रही हैं एवं अकेक्षण कक्ष की टीप अनुसार गत वर्षों से अकार्यशील हैं। इस प्रकार इन संस्थाओं में म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69-2(क), (ग) में वर्णित स्थितियां निर्मित हो गई हैं। इस कारण इन संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र/एफ 5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुए मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर निम्नलिखित सारणी के कॉलम क्रमांक 02 में उल्लेखित सहकारी संस्थाओं को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूं कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत उन्हें परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाये। इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि उक्त सहकारी संस्थाएं विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती हैं। अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत उन्हें परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा:-

| क्र. | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक/दिनांक |
|------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | दुग्ध उत्पादक सहाकारी संस्था मर्या, सतपिपलिया | 1269/06-01-2004 |
| 2. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या, बालाखेडा | 1505/04-09-2010 |
| 3. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या, गोदी | 951/25-10-1989 |
| 4. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या, रफीकगंज | 1412/28-08-2008 |
| 5. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या, भवरी कलाँ | 1030/19-07-1994 |
| 6. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या, लीलाखेडा | 1744/03-02-2014 |
| 7. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या, गड़खेडी (आष्टा) | 1495/17-08-2010 |
| 8. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या, जमनी | 1141/23-03-2000 |
| 9. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या, खितवई | 1731/23-12-2013 |
| 10. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या, खामखेडा बैजनाथ | 833/22-04-1984 |
| 11. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या, इमलिया हसन | 1808/31-10-2014 |
| 12. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या, गोपालपुर | 1041/20-07-1994 |
| 13. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या, बावचा बरामद | 558/19-09-1984 |
| 14. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या, बड़घाटी | 1498/18-08-2010 |
| 15. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या, परोलिया | 1467/02-01-2010 |

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 16 अक्टूबर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,
उप पंजीयक।

(1268)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

देवास, दिनांक 12 नवम्बर, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था

मर्यादित लसुडियाछत्रधार

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित लसुडियाछत्रधार जिसका पंजीयन क्रमांक...540, दिनांक 12 मार्च, 1984 है. जिसका निर्वाचन संपन्न कराने हेतु निर्वाचन प्राधिकारी के आदेश क्रमांक 5866, दिनांक 23 जून, 2018 से रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया था. रिटर्निंग अधिकारी के पत्र दिनांक 27 अगस्त 2018 अनुसार संस्था विगत 02 वर्षों से अकार्यशील हैं ऐसी स्थिति में संस्था के निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था अपनी उपविधि के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है. जिस प्रयोग के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है परिणाम स्वरूप मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) (क) एवं 69(2) (ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69(2) (क) एवं 69(2) (ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये. इस संबंध में यदि कुछ कहना हो तो या प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हो तो दिनांक 14 नवम्बर 2018 कार्यालयीन समय में मय रिकार्ड के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे. अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा की आपको कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में कुछ नहीं कहना है. संस्था को परिसमापन में लाने की विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 अक्टूबर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

के. एन. त्रिपाठी,
उप-पंजीयक.

(1273)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर

मन्दसौर, दिनांक 27 अक्टूबर, 2018

क्र./1609/परि/2018.—बुनकर सहकारी समिति मर्या. दलौदा, तहसील दलौदा, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्र.-374, मन्दसौर, दिनांक 15-05-1992 को इस कार्यालय के आदेश क्र/परि./147/2014 दिनांक 12 फरवरी, 2014 के द्वारा म.प्र. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर सुश्री विपिन बडगोती, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुए पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. जिसमें स्वत्व सम्बन्धी कोई कार्यवाही शेष नहीं है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही से मैं सहमत हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18(1) मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23-10-2010 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं तथा आज दिनांक 27 अक्टूबर, 2018 से यह संस्था विघटित समझी जायेगी और वह निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 27 अक्टूबर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

के. पाटनकर,
उप-पंजीयक.

(1269)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 नवम्बर, 2018-अग्रहायण 2 शके 1940

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 13 जून, 2018

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में प्रायः आकाश मेघाच्छादित रहा तथा राज्य के निम्न जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदत किया गया है।

(अ) 0.1 मि.मी. से 17.4 मि.मी. तक:- तहसील भिण्ड, गोहद, मेहगांव, रौनमिहोना (भिण्ड) डबरा, भितरवार (ग्वालियर) दतिया (दतिया) शिवपुरी, कोलारस (शिवपुरी) ईसागढ़, अशोकनगर (अशोकनगर) गुना, आरैन, चांचौडा, कुम्भराज (गुना) टीकमगढ़, बल्देवगढ़, पलेरा, खरगापुर (टीकमगढ़) गौरीहार, नौगांव, बिजावर, लवकुशनगर (छतरपुर) अजयगढ़, पन्ना, देवेन्द्रनगर, गुन्नौर, अमानगंज, पवई, सिमरिया (पन्ना) बीना, गढ़कोटा, मालथौन (सागर) हटा, जबेरा, पटेरा, दमोह (दमोह) रघुराजनगर, नागौद, रामनगर, मैहर (सतना) त्योंथर, सिरमौर, गुढ़ (रीवा) ब्यौहारी, जससिंहनगर (शहडोल) चुरहट, बहरी, रामपुर्नैकिन (सीधी) देवसर, सिंगरौली (सिंगरौली) सुभासरा, मल्हारगढ़ (मन्दसौर) नीमच (नीमच) जाबरा, ताल, रावटी, रत्लाम (रत्लाम) महिदपुर, घटिया, उज्जैन, बड़नगर (उज्जैन) शाजापुर सुजालपुर (शाजापुर) देवास, बागली, हाटपिपल्या, सतवास (देवास) बदनावर, धार (धार) देपालपुर, सांबेर, इन्दौर, मऊअम्बेडकरनगर (इन्दौर) कसरावद (खरगानी) बड़वानी, राजपुर, बरला (बड़वानी) खण्डवा, पुनासा (खण्डवा) खकनार, नेपानगर (बुरहानपुर) खिलचीपुर, ब्यावरा, पचोर (राजगढ़) बैतूल (बैतूल) मझोली, पनापर (जबलपुर) रीठी, बड़वारा (कटनी) नारायणगंज (मण्डला) लखनादौन (सिवनी) में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

(ब) 17.5 मि.मी से 34.9 मि.मी. तक:- तहसील विजयपुर, कराहल (श्योपुर) अटर (भिण्ड) घाटीगांव (ग्वालियर) पोहरी, बैराढ (शिवपुरी) राधोगढ़, बम्हारी (गुना) मुंगावली, (अशोकनगर) ओरछा (टीकमगढ़) बक्स्वाहा (छतरपुर) रैपुरा, शाहनगर (पन्ना) बण्डा, राहतगढ़ (सागर) पथरिया (दमोह) मऊगंज, हनुमना, रायपुरकर्वुलियान (रीवा) सिंहावल, मझोली, कुसमी (सीधी) गरोठ, सीतामऊ, मन्दसौर, दालोदा (मन्दसौर) मनासा (नीमच) सैलाना, पिपलौदा (रत्लाम) सोनकच्छ, उदयनगर (देवास) जोवट (अलीराजपुर) सरदारपुर (धार) बड़वाह, भीकनगांव, झिरन्या (खरगानी) सेन्धवा (बड़वानी) खालवा, हरसूद (खण्डवा) बावई (होशंगाबाद) बुरहानपुर (बुरहानपुर) कुरवाई, ग्यारसपुर (विदिशा) बैरागढ़ (भोपाल) जावर (सीहोर) शाहपुर (बैतूल) सीहोरा, पाटन (जबलपुर) बहोरीबन्द, मुढ़वारा, कटनी, विजयराघोरगढ़, बरही (कटनी) नैनपुर, घुघरी (मण्डला) बजाग (डिण्डोरी) बिछुआ, हरई (छिन्दवाड़ा) धनोरा (सिवनी) में उक्त मि.मी. तक वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

(स) 35.0 मि.मी से 53.1 मि.मी. तक:- तहसील ग्वालियर (ग्वालियर) नरवर (शिवपुरी) निवाड़ी, पृथ्वीपुर, जतारा, छतरपुर (छतरपुर) खुरई (सागर) उचेहरा (सतना) गोहपारू (शहडोल) जैतहरी, अनूपपुर (अनूपपुर) गोपदबनास (सीधी) तराना (उज्जैन) गुलाना (शाजापुर) टोंकखुर्द (देवास) नरसिंहगढ़ (राजगढ़) सिरोंज, बासोदा, नटेरन, गुलाबगंज (विदिशा) नसरुल्लागंज (सीहोर) गोहरगंज, बाड़ी

(रायसेन) भैंसदेही, चिचोली, मुल्ताई, आठनेर (बैतूल) होशंगाबाद, सिवनी-मालवा, सोहागपुर (होशंगाबाद) हरदा, खिरकिया (हरदा) जबलपुर (जबलपुर) करेली (नरसिंपुर) कुरई, केवलारी, घंसौर (सिवनी) बारासिवनी, कटंगी (बालाघाट) में उक्त मि.मी. के अंतर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

(द) 53.2 मि.मी से 244.9 मि.मी. तक:- तहसील श्योपुर (श्योपुर) रेहली, सागर, देवरी, केसली (सागर) हजूर (रीवा) सोहागपुर, बुढ़ार, जैतपुर (शहडोल) कोतमा, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर) कालापीपल (शाजापुर) कन्नौद, खातेगांव (देवास) पंधाना (खण्डवा) सारंगपुर, जीरापुर (राजगढ़) विदिशा (विदिशा) बैरसिया (भोपाल) सीहोर, आष्ठा, इच्छावर, रेहटी, श्यामपुर, बुधनी (सीहोर) रायसेन, गैरतगंज, बेगमगंज, बरेली, सिलवानी, उदयपुरा (रायसेन) घोड़ाड़ोंगरी, आमला (बैतूल) इटारसी, सिवनीमालवा, पिपरिया, बनखेड़ी, पचमढ़ी (होशंगाबाद) टिमरनी (हरदा) ढीमरखेड़ा (कटनी) नरसिंहपुर, गाडरवाडा, तेंदूखेड़ा (नरसिंपुर) बिछिया (मण्डला) डिण्डोरी, साहपुरा (डिण्डोरी) छिन्दवाड़ा, तामिया परासिया, सौंसर, अमरवाड़ा, चौरई, उमरैठ, मोहखेड़े, चांद (छिन्दवाड़ा) सिवनी, बरघाट, छपारा (सिवनी) बालाघाट, लांजी, किरनापुर, बैहर, परसबाड़ा, विरसा, खैरलांजी (बालाघाट) में उक्त मि.मी. के अंतर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

2. जुताईः- जिला श्योपुर, अशोकनगर, पन्ना, सागर, दमोह, रीवा, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, मन्दसौर, नीमच, शाजापुर, देवास, झाबुआ, धार, खगोन, बड़वानी, सीहोर, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, जबलपुर, मण्डला, छिन्दवाड़ा, सिवनी, बालाघाट में जुताई कार्य चालू न होना प्रतिवेदित किया गया है।

3. बोनीः- अनूपपुर, सिंगरौली, बड़वानी, भोपाल, बैतूल, मण्डला, छिन्दवाड़ा, सिवनी, बालाघाट में खरीफ फसल की बोनी चालू होना प्रतिवेदित किया गया है।

4. फसल स्थिति:- ..

5. कटाईः- जिला जबलपुर में उड़द मूँग की कटाई चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है।

6. सिंचाईः- जिला शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, रीवा, शहडोल, उमरिया, सिंगरौली, उज्जैन, शाजापुर, बड़वानी, विदिशा, सीहोर, होशंगाबाद, जबलपुर, में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त तथा शेष जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

7. पशुओं की स्थिति:- ..

8. चारा:- जिला शिवपुरी में पशुओं के लिये चारा अपर्याप्त मात्रा में एवं शेष जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

9. बीजः- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है।

10. खेतिहर श्रमिकः- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त मात्रा में उचित दर पर उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 13 जून, 2018

| जिला/तहसीलें | 1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक. | 2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती है. (द) खड़ी फसल पर रोप व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर. | 3. अन्य असामियक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत. | 5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति. | 7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति. |
|---|---|--|--|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. जिला मुरैना : 1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. कैलारस 6. सबलगढ़ | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. 4. (1) .. (2) .. | 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 2. जिला श्योपुर : 1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर 4. वीरपुर 5. बडोदा | मिलीमीटर 66.1 23.4 34.0 | 2. जुताई चालू है. | 3. .. 4. (1) गन्ना समान. (2) गन्ना समान. | 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 3. जिला भिण्ड : 1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. रैनमिहोना 7. गोरमी 8. मौ | मिलीमीटर 34.0 16.0 7.0 14.0 .. 17.0 | 2. .. | 3. .. 4. (1) .. (2) .. | 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 4. जिला ग्वालियर : 1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. चिनार 5. घाटीगांव | मिलीमीटर 40.0 9.3 10.4 .. 32.0 | 2. .. | 3. .. 4. (1) .. (2) .. | 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 5. जिला दतिया : 1. सेवढ़ा 2. दतिया 3. इन्द्रगढ़ 4. बढ़ौनी 5. भाण्डेर | मिलीमीटर .. 8.0 | 2. .. | 3. .. 4. (1) गन्ना अधिक. (2) गन्ना समान. | 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| 6. जिला शिवपुरी : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. 4. (1) .. (2) .. | 5. अपर्याप्त 6. संतोषप्रद, चारा अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त 8. पर्याप्त |
| 1. शिवपुरी | 14.0 | | | | |
| 2. पिछोर | .. | | | | |
| 3. खनियाधाना | .. | | | | |
| 4. नरवर | 53.0 | | | | |
| 5. कैरेरा | .. | | | | |
| 6. कोलारस | 14.0 | | | | |
| 7. पोहरी | 30.0 | | | | |
| 8. बैराढ़ | 21.0 | | | | |
| 9. बद्रखास | .. | | | | |
| 7. जिला अशोकनगर : | मिलीमीटर | 2. जुताई चालू है. | 3. .. 4. (1) गन्ना कम. (2) .. | 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त |
| 1. मुँगावली | 22.0 | | | | |
| 2. इसागढ़ | 11.0 | | | | |
| 3. अशोकनगर | 16.0 | | | | |
| 4. चन्द्रेरी | .. | | | | |
| 5. नई सराय | .. | | | | |
| 6. पिपरई | .. | | | | |
| 7. शाढ़ौरा | .. | | | | |
| 8. जिला गुना : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. 4. (1) .. (2) .. | 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त |
| 1. गुना | 17.0 | | | | |
| 2. राघोगढ़ | 21.0 | | | | |
| 3. बमोरी | 24.0 | | | | |
| 4. आरोन | 13.0 | | | | |
| 5. चाचौड़ा | 3.0 | | | | |
| 6. मकसूदनगढ़ | .. | | | | |
| 7. कुम्भराज | 5.0 | | | | |
| 9. जिला टीकमगढ़ : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. 4. (1) .. (2) .. | 5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त |
| 1. निवाड़ी | 40.0 | | | | |
| 2. पृथ्वीपुर | 52.0 | | | | |
| 3. जतारा | 48.0 | | | | |
| 4. टीकमगढ़ | 2.0 | | | | |
| 5. बल्देक्वगढ़ | 5.5 | | | | |
| 6. पलेरा | 16.0 | | | | |
| 7. खरगापुर | 5.5 | | | | |
| 8. मोहनगढ़ | .. | | | | |
| 9. लिधौरा | .. | | | | |
| 10. ओरछा | 23.0 | | | | |
| 10. जिला छतरपुर : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. 4. (1) .. (2) .. | 5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त |
| 1. लोण्डी | .. | | | | |
| 2. गौरीहार | 2.0 | | | | |
| 3. नौगांव | 9.0 | | | | |
| 4. छतरपुर | 39.4 | | | | |
| 5. राजनगर | .. | | | | |
| 6. बिजावर | 2.0 | | | | |
| 7. बड़ामलहरा | .. | | | | |
| 8. महाराजपुर | .. | | | | |
| 9. चंदला | .. | | | | |
| 10. धुवारा | .. | | | | |
| 11. लवकुश नगर | 5.0 | | | | |
| 12. बक्सवाहा | 22.4 | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|-------------------------|--|--|------------------------------|
| 11. जिला पन्ना : | मिलीमीटर | 2. जुताई कार्य चालू है. | 3. .. 4. (1) .. (2) .. | 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 1. अजयगढ़ 2. पन्ना / देवेन्द्र नगर 3. गुन्नौर / अमानगंज 4. पर्वई / सिमरिया 5. शाहनगर / रैपुरा | 0.2 7.2 11.0 5.0 18.6 | | | | |
| 12. जिला सागर : | मिलीमीटर | 2. जुताई कार्य चालू है. | 3. .. 4. (1) .. (2) .. | 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 1. बीना 2. खुरई 3. बण्डा 4. सागर 5. रेहली 6. देवरी 7. गढ़ाकोटा 8. राहतगढ़ 9. केसली 10. मालथोन 11. शाहगढ़ | 8.6 44.6 28.0 56.9 58.0 91.0 6.2 25.0 63.6 12.0 . . | | | | |
| 13. जिला दमोह : | मिलीमीटर | 2. जुताई कार्य चालू है. | 3. .. 4.(1) .. (2) .. | 5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 1. हटा 2. बटियागढ़ 3. दमोह 4. पथरिया 5. जवेरा 6. तेन्दूखेड़ा 7. पटेरा | 2.0 . . 6.0 25.0 10.0 . . 4.0 | | | | |
| 14. जिला सतना : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) .. | 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 1. रघुराजनगर 2. मझगाँव 3. रामपुर-(बघेलान) 4. नागौद 5. उच्छेरा 6. अमरपाटन 7. रामनगर 8. मैहर 9. कोठर 10. बिरसिंहपुर | 4.7 4.3 35.0 60.0 15.0 16.0 | | | | |
| 15. जिला रीवा : | मिलीमीटर | 2. जुताई कार्य चालू है. | 3. .. 4. (1) .. (2) .. | 5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 1. त्याँथर 2. सिरमौर 3. मऊगंज 4. हनुमना 5. हजूर 6. गुढ़ 7. मनगवां 8. सेमरिया 9. जवा 10. नईगढ़ी 11. रायपुर(कर्चुलियान) | 9.0 9.2 29.6 34.4 66.0 8.2 32.0 | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|----------------------------|----------|---|-------------------------------------|--|------------------------------|
| 16. जिला शहडोलः | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. 4. (1) .. (2) .. | 5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 1. सोहगापुर | 61.0 | | | | |
| 2. ब्यौहारी | 8.0 | | | | |
| 3. जैसिहनगर | 15.0 | | | | |
| 4. बुढार | 94.0 | | | | |
| 5. गोहपारू | 35.0 | | | | |
| 6. जैतपुर | 129.0 | | | | |
| 17. जिला अनूपपुर : | मिलीमीटर | 2 जुताई चालू है. बोनी चालू है. | 3. .. 4. (1) .. (2) .. | 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 1. जैतहरी | 39.8 | | | | |
| 2. अनूपपुर | 44.6 | | | | |
| 3. कोतमा | 73.8 | | | | |
| 4. पुष्पराजगढ़ | 68.9 | | | | |
| 18. जिला उमरिया : | मिलीमीटर | 2 .. | 3. .. 4. (1) .. (2) .. | 5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 1. बांधवगढ़ | .. | | | | |
| 2. पाली | .. | | | | |
| 3. चांदिया | .. | | | | |
| 4. नौरोजाबाद | .. | | | | |
| 5. मानपुर | .. | | | | |
| 19. जिला सीधी : | मिलीमीटर | 2 जुताई कार्य चालू है. | 3. .. 4. (1) .. (2) .. | 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 1. गोपदवनास | 40.0 | | | | |
| 2. सिंहावल | 18.4 | | | | |
| 3. मझौली | 25.2 | | | | |
| 4. कुसमी | 27.0 | | | | |
| 5. चुरहट | 4.2 | | | | |
| 6. बहरी | 11.8 | | | | |
| 7. रामपुरनैकिन | 17.0 | | | | |
| 20. जिला सिंगरोली : | मिलीमीटर | 2 जुताई कार्य चालू है. बोनी चालू है. | 3. .. 4. (1) मक्का कम. (2) .. | 5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 1. चितरंगी | .. | | | | |
| 2. देवसर | 11.8 | | | | |
| 3. सरई | .. | | | | |
| 4. माडा | .. | | | | |
| 5. सिंगरोली | 7.8 | | | | |
| 21. जिला मंदसौर : | मिलीमीटर | 2 जुताई कार्य चालू है. | 3. .. 4. (1) .. (2) .. | 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 1. सुवासगा | 4.0 | | | | |
| 2. भानपुरा | .. | | | | |
| 3. मल्हारगढ़ | 9.0 | | | | |
| 4. गरोठ | 24.1 | | | | |
| 5. मंदसौर/ दालोद | 19.0 | | | | |
| 6. श्यामगढ़ | .. | | | | |
| 7. सीतामऊ | 20.1 | | | | |
| 8. धुंधड़क्का | .. | | | | |
| 9. संजीत | .. | | | | |
| 10. कयामपुर | .. | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---------------------------|----------|-------------------------|--|--|------------------------------|
| 22. जिला नीमच : | मिलीमीटर | 2 जुताई चालू है. | 3. .. 4.(1) .. (2) .. | 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 1. जावद | .. | | | | |
| 2. नीमच | 15.0 | | | | |
| 3. सिंगौली | .. | | | | |
| 4. जीरन | .. | | | | |
| 5. रामपुर | .. | | | | |
| 6. मनासा | 30.0 | | | | |
| 23. जिला रत्लाम : | मिलीमीटर | 2 .. | 3. .. 4.(1) .. (2) .. | 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 1. जावरा | 16.0 | | | | |
| 2. आलोट | .. | | | | |
| 3. सैलाना | 30.0 | | | | |
| 4. बाजना | .. | | | | |
| 5. ताल | 9.0 | | | | |
| 6. रावटी | 9.0 | | | | |
| 7. पिपलोदा | 29.0 | | | | |
| 8. रत्लाम | 9.0 | | | | |
| 24. जिला उज्जैन : | मिलीमीटर | 2 .. | 3. .. 4. (1) .. (2) .. | 5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 1. खाचरौद | .. | | | | |
| 2. महिदपुर | 4.0 | | | | |
| 3. तराना | 50.0 | | | | |
| 4. घटिया | 11.0 | | | | |
| 5. उज्जैन | 6.0 | | | | |
| 6. बड़नगर | 11.0 | | | | |
| 7. नागदा | .. | | | | |
| 25. जिला आगर : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. 4. (1) .. (2) .. | 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त | 7. .. 8. पर्याप्त. |
| 1. बड़ौदा | .. | | | | |
| 2. सुसनेर | .. | | | | |
| 3. नलखेड़ा | .. | | | | |
| 4. आगर | .. | | | | |
| 26. जिला शाजापुर : | मिलीमीटर | 2. जुताई कार्य चालू है. | 3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) .. | 5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. .. 8. पर्याप्त. |
| 1. मोमनबड़ौदिया | .. | | | | |
| 2. शाजापुर | 5.6 | | | | |
| 3. शुजालपुर | 15.0 | | | | |
| 4. कालापीपल | 110.0 | | | | |
| 5. पोलाय कलाँ | .. | | | | |
| 6. अबंतीपुर बड़ौदिया | .. | | | | |
| 7. गुलाना | 52.0 | | | | |
| 27. जिला देवास : | मिलीमीटर | 2. जुताई कार्य चालू है. | 3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) .. | 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 1. सोनकच्छ | 30 | | | | |
| 2. टांकखुर्द | 51 | | | | |
| 3. देवास | 6 | | | | |
| 4. बागली | 8 | | | | |
| 5. कन्नोद | 65 | | | | |
| 6. हाटपिपल्या | 5 | | | | |
| 7. सतवास | 16 | | | | |
| 8. उदयनगर | 23.8 | | | | |
| 9. खातेगांव | 82 | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|--|--|---|---|--|------------------------------|
| 28. जिला झावुआ : 1. थांदला 2. मेघनगर 3. पेटलावद 4. झावुआ 5. राणपुर | मिलीमीटर | 2. जुताई कार्य चालू है. 2. .. | 3. .. 4. (1) .. (2) .. | 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 29. जिला अलीराजपुर : 1. जोवट 2. अलीराजपुर 3. कट्टीवाडा 4. सोँडवा 5. उदयगढ़ 6. चन्द्रशेखर आ. नगर 7. भामरा | मिलीमीटर 18.8 | 2. .. | 3. .. 4. (1) .. (2) .. | 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 30. जिला धार : 1. बदनावर 2. सरदारपुर 3. धार 4. कुक्षी 5. मनावर 6. धरमपुरी 7. गंधवानी 8. डही | मिलीमीटर 5.6 20.0 15.8 | 2. जुताई कार्य चालू है. 2. .. | 3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) .. | 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 31. जिला इन्दौर : 1. देपालपुर 2. सांवेर 3. इन्दौर 4. हातोद 5. महू (डॉ. अम्बेडकर नगर) | मिलीमीटर 3.0 2.0 4.60 .. 7.0 | 2. .. | 3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) .. | 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 32. जिला खरगौन : 1. बडवाह 2. महेश्वर 3. सेगांव 4. खरगौन 5. गोगावां 6. कसरावद 7. भगवानपुरा 8. भीकनगाव 9. सनावद 10. झिरन्या | मिलीमीटर 25.0 0.6 1.0 .. 20.0 .. 28.0 | 2. जुताई कार्य चालू है. 2. .. | 3. .. 4. (1) .. (2) .. | 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 33. जिला बड़वानी : 1. बड़वानी 2. ठीकरी 3. राजपुर 4. सेंधवा 5. पानसेमल 6. पाटी 7. अंजड 8. बरला 9. निवाली | मिलीमीटर 9.0 .. 10.0 22.0 8.3 .. | 2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है. 2. .. | 3. .. 4. (1) गन्ना, कपास, सोया, मक्का अधिक. (2) .. | 5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----------------------------|----------|-------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|
| 34. जिला खण्डवा : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. 4. (1) .. (2) .. | 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 1. खण्डवा | 2.0 | | | | |
| 2. पुनासा | 12.0 | | | | |
| 3. खालवा | 25.0 | | | | |
| 4. पंधाना | 85.5 | | | | |
| 5. हरसूद | 25.0 | | | | |
| 35. जिला बुरहानपुर : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. 4.(1) .. (2) .. | 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. .. 8. पर्याप्त. |
| 1. बुरहानपुर | 27.6 | | | | |
| 2. खकनार | 2.0 | | | | |
| 3. नेपानगर | 3.0 | | | | |
| 36. जिला राजगढ़ : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. 4. (1) .. (2) .. | 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 1. राजगढ़ | .. | | | | |
| 2. जीरापुर | 86.8 | | | | |
| 3. खिलचीपुर | 11.8 | | | | |
| 4. व्यावरा | 2.4 | | | | |
| 5. सारंगपुर | 81.0 | | | | |
| 6. पचोर | 10.0 | | | | |
| 7. नरसिंहगढ़ | 48.0 | | | | |
| 37. जिला विदिशा : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. 4. (1) .. (2) .. | 5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 1. लटेरी | .. | | | | |
| 2. सिरोंज | 44.0 | | | | |
| 3. कुरवाई | 26.4 | | | | |
| 4. बासोदा | 47.2 | | | | |
| 5. नटरेन | 39.0 | | | | |
| 6. विदिशा | 113.0 | | | | |
| 7. गुलाबगंज | 45.0 | | | | |
| 8. समसाबाद | .. | | | | |
| 9. त्योंदा | .. | | | | |
| 10. पठरी | .. | | | | |
| 11. ग्यारसपुर | 18.0 | | | | |
| 38. जिला भोपाल : | मिलीमीटर | 2. बोनी कार्य चालू है. | 3. .. 4. (1) .. (2) .. | 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 1. बैरसिया | 54.4 | | | | |
| 2. हुजूर | .. | | | | |
| 3. बैरागड़ | 20.2 | | | | |
| 39. जिला सीहोर : | मिलीमीटर | 2. जुताई कार्य चालू है. | 3. .. 4. (1) गन्ना समान. (2) .. | 5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 1. सीहोर | 93.3 | | | | |
| 2. आष्टा | 60.0 | | | | |
| 3. इच्छावर | 60.0 | | | | |
| 4. नसरुल्लागंज | 47.0 | | | | |
| 5. रेहटी | 140.0 | | | | |
| 6. श्यामपुर | 54.0 | | | | |
| 7. जावर | 33.2 | | | | |
| 8. बुधनी | 75.0 | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----------------------------|----------|---|---|--|------------------------------|
| 40. जिला रायसेन : | मिलीमीटर | 2. जुताई कार्य चालू है. | 3. .. 4. (1) .. (2) .. | 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 1. रायसेन | 70.2 | | | | |
| 2. गैरतगंज | 55.8 | | | | |
| 3. बेगमगंज | 159.0 | | | | |
| 4. गोहरगंज | 49.0 | | | | |
| 5. बरेली | 97.8 | | | | |
| 6. सिलवानी | 98.0 | | | | |
| 7. बाड़ी | 52.5 | | | | |
| 8. सुल्तानपुर | .. | | | | |
| 9. उदयपुरा | 82.3 | | | | |
| 41. जिला बैतूल : | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी कार्य चालू है. | 3. .. 4. (1) .. (2) .. | 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7 पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 1. बैतूल | 8.0 | | | | |
| 2. भैंसदेही | 44.6 | | | | |
| 3. घोड़ाडोंगरी | 80.4 | | | | |
| 4. शाहपुर | 20.4 | | | | |
| 5. चिंचोली | 37.6 | | | | |
| 6. मुल्लाई | 38.2 | | | | |
| 7. आठनेर | 49.8 | | | | |
| 8. आमला | 88.0 | | | | |
| 42. जिला होशंगाबाद : | मिलीमीटर | 2. जुताई कार्य चालू है. | 3. .. 4. (1) मँग, उड़द अधिक. (2) मूँग, उड़द समान. | 5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 1. होशंगाबाद | 53.0 | | | | |
| 2. सिवनी-मालवा | 64.0 | | | | |
| 3. बावई | 28.0 | | | | |
| 4. इटारसी | 98.8 | | | | |
| 5. सोहागपुर | 47.0 | | | | |
| 6. पिपरिया | 82.8 | | | | |
| 7. बनखेड़ी | 58.4 | | | | |
| 8. डोलरिया | .. | | | | |
| 9. पचमढ़ी | 99.0 | | | | |
| 43. जिला हरदा : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. 4. (1) .. (2) .. | 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 1. हरदा | 38.0 | | | | |
| 2. खिड़किया | 44.6 | | | | |
| 3. सिराली | .. | | | | |
| 4. रेहटगांव | .. | | | | |
| 5. हर्डिया | .. | | | | |
| 6. टिमरनी | 110.8 | | | | |
| 44. जिला जबलपुर : | मिलीमीटर | 2. जुताई व उड़द मँग को कटाई चालू है. | 3. .. 4. (1) उड़द, मँग समान. (2) .. | 5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 1. जबलपुर | 40.6 | | | | |
| 2. कुण्डम | .. | | | | |
| 3. सीहोरा | 18.2 | | | | |
| 4. पाटन | 23.4 | | | | |
| 5. मझौली | 14.4 | | | | |
| 6. शाहपुरा | .. | | | | |
| 7. पनागर | 17.1 | | | | |
| 45. जिला कटनी : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) .. | 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 1. बहोरीबंद | 33.8 | | | | |
| 2. ढीमरखेड़ा | 58.0 | | | | |
| 3. रीठी | 5.0 | | | | |
| 4. बड़वारा | 8.6 | | | | |
| 5. मुड़वारा (कटनी) | 22.8 | | | | |
| 6. विजयराघवगढ़ | 25.9 | | | | |
| 7. बरही | 19.2 | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|--|--|-----------------------------|---|------------------------------|
| 46. जिला नरसिंहपुर : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. 4.(1) .. (2) .. | 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 1. नरसिंहपुर 2. गोटेगांव 3. करेली 4. गाडरवारा 5. तेंदूखेड़ा | 72.0 .. 51.0 114.0 56.0 | | | | |
| 47. जिला मण्डला : | मिलीमीटर | 2 जुताई एवं बोनी कार्य चालू है. | 3. .. 4.(1) .. (2) .. | 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 1. मण्डला 2. नैनपुर 3. बिछिया 4. निवास 5. नारायणगंज 6. घुघरी | 40.6 30.6 98.3 35.2 2.7 22.7 | | | | |
| 48. जिला डिणडोरी : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. 4.(1) .. (2) .. | 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 1. डिणडोरी 2. शाहपुरा 3. बजाग | 86.1 112.1 32.8 | | | | |
| 49. जिला छिन्दवाड़ा : | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है. | 3. .. 4.(1) .. (2) .. | 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 1. छिन्दवाड़ा 2. तामिया 3. परासिया 4. जामई जुनारदेव 5. सोंसर 6. बिछुआ 7. अमरवाड़ा 8. चौरई 9. उमरेठ 10. मोहखेड 11. हरई 12. चाद 13. पांढुरा | 118.0 90.0 84.3 49.4 130.2 28.8 53.6 105.0 77.0 109.2 25.2 76.7 35.0 | | | | |
| 50. जिला सिवनी : | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी कार्य चालू है. | 3. .. 4.(1) .. (2) .. | 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 1. सिवनी 2. बरघाट 3. कुरई 4. केवलारी 5. लखनादोन 6. छपारा 7. धनोरा 8. घंसार | 101.0 64.6 52.0 37.2 11.5 89.1 28.4 43.0 | | | | |
| 51. जिला बालाघाट : | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी कार्य चालू है. | 3. .. 4.(1) .. (2) .. | 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 1. बालाघाट 2. लाँजी 3. किरनापुर 4. बैहर 5. वारासिवनी 6. कटंगी 7. लालबरा 8. तिरोडी 9. परसवाड़ा 10. बिरसा 11. खैरलांजी | 58.2 60.0 63.8 70.0 42.2 41.4 120.5 96.4 80.0 | | | | |

आर. पी. भारती,
संयुक्त आयुक्त,
भ-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(1264)